वैज्ञानिक तथा औधौगिकअनुसंधान परिषद
भर्ती एवं मूल्यांकन बोर्ड (रैब)
सी.एस.आई.आर. कॉम्प्लेक्स,पूसा, नई दिल्ली -110012

सं०: 1 / Misc / 9 / 2017 - रैब दिनांक : 05 मई, 2017

कार्यालय ज्ञापन

विषय : संप्रेषण हेतु निर्धारित चैनल का अनुपालन किए बिना सीधे उच्च प्राधिकारियों को भेजे गये अभ्यावेदनो के संबंध में।

उपर्युक्त विषय पर आप का ध्यान सीएसआईआर के पत्र संख्या7-1(2)/2002-आरएंडए दिनांक 21-05-2004,संख्या7-1(2)/2005-आरएंडए दिनांक 28-10-2005,संख्या7-1(2)/2007-आरएंडए दिनांक 17-08-2007; डीओपीटी के कार्यालय ज्ञापन11013/08/2013-Estt I (A-III)दिनांक 06.06.2013,सीएसआईआर के पत्रसंख्या 17-(226)/97/ई.II (एचआरII) दिनांक 26-05-2014 तथा डीओपीटी के कार्यालय ज्ञापन सं.11013/08/2013-Estt.I (A-III)दिनांक 31-08-2015 की और आकर्षित करते हुए यह कहा जाता है कि अभ्यावेदन सीधे उच्च प्राधिकारियों को न भेजे जाने हेतु समय समय पर जारी निर्देशों के बावजूद यहदेखागयाहैकिग्रुप-IVके कुछ वैज्ञानिक,संप्रेषण हेतुनिर्धारितचैनलकाअनुपालनकिएबिनाअपना अभ्यावेदन सीधे उच्चप्राधिकारियों जैसे महानिदेशक,सीएसआईआर/ उपाध्यक्ष,सीएसआईआर इत्यादिकोभेजते रहे हैं।

2. - मौजूदा निर्देशों के अनुसार परिषद-कर्मचारी सीएसआरएपी नियमावली 2001 (CSRAP Rules 2001)के अंतर्गत अपना अभ्यावेदन प्रयोगशाला/संस्थानके निदेशक को ही संबोधित करप्रस्तुत किया जाना चाहिए ।परिषद कर्मचारी द्वारा संप्रेषणहेतुनिर्धारितचैनलकाअनुपालनकिएबिनाअभ्यावेदन सीधेउच्चअधिकारियोंकोभेजना परिषद कर्मचारी के कार्य के प्रतिकूल है अत: यह सीसीएस (आचरण) नियम, 1964 के अंतर्गत नियम 3(1)(III)का उल्लंघन है । इसके अतिरिक्त, कुछ परिषद कर्मचारी अपने अभ्यावेदन की प्रति बाह्यअधिकारियों, जिनका प्रत्यक्षरूपसेअभ्यावेदन से कोई संबंध नहीं है (जैसे कि माननीए मंत्री, दूसरे विभागों के सेक्रेटरी, संसदसदस्य इत्यादि) को भेजने के आदी होते हैं ।यह एक अवांछनीय, सरकारीऔचित्यकेविपरीत अनुशासनहीन गतिविधि है । संसद सदस्यों के माध्यम से अग्रेषित अभ्यावेदन सीसीएस (आचरण) नियम, 1964 के नियम 20 का उल्लंघन है ।

3. उपर्युक्त को देखते हुए, सक्षम अधिकारी ने महानिदेशक,सीएसआईआर/उपाध्यक्ष,सीएसआईआर इत्यादिकोसीधे भेजे जाने वाले अभ्यावेदनों को गंभीरता से लिया है ।इसलिये सक्षम अधिकारी ने इच्छा व्यक्त की है कि सभी वैज्ञानिक (ग्रुप-IV), जिनके नियुक्ति अधिकारी उनके निदेशक हैं,वह अपने मूल्यांकन/ भर्ती संबंधी अभ्यावेदनों को सीएसआरएपी नियमावली 2001 (CSRAP Rules 2001)के अंतर्गत अपने निदेशक को ही प्रस्तुत करें तथा किसी भी स्थिति में अपने अभ्यावेदन को निर्धारित चैनल के बिना सीधे प्रमुख-रैब / अध्यक्ष-रैब / महानिदेशक,सीएसआईआर / उपाध्यक्ष, सीएसआईआर को ना भेजे । प्रमुख-रैब / अध्यक्ष-रैब / महानिदेशक, सीएसआईआर / उपाध्यक्ष, सीएसआईआर को सीधे संबोधित किए गएअभ्यावेदनों को फ़ाइल कर दिया जाएगा और उन पर कोई कार्रवाई नहीं की जाएगी ।

जारी.2/-

4. इस निर्देश को सीएसआरएपी नियमावली 2001 (CSRAP Rules 2001)के अंतर्गत आने वाले सभी ग्रेड-IVवैज्ञानिको के ध्यान मे लाया जाए ।

5. यह अध्यक्ष,रैब के अनुमोदन से जारी किया गया ।

सेवा में,
सीएसआईआर की सभी प्रयोगशालाओं/संस्थानों के निदेशक/प्रमुख

बैनर्जी
05/5/2017
(संगीता बैनर्जी)
उप सचिव (रैब)

प्रतिलिपि :

1. प्रमुख,यूआरडीपी / आईपीयू / एचआरडीसी / एचआरडीजी / टीकेडीएल
2. सीएसआईआर मुख्यालय/सीएसआईआरकॉम्प्लेक्स के सभी वरिष्ठ उप सचिव/उप सचिव /अवर सचिव
3. सीएसआईआरकी सभी प्रयोगशालायों/संस्थानो के वरिष्ठ प्रशासन नियंत्रक/प्रशासन नियंत्रक/प्रशासन अधिकारी
4. अवर सचिव,महानिदेशककार्यालय,सीएसआईआरमुख्यालय
5. संयुक्त सचिव (प्रशासन) की निजी सचिव
6. वित सलाहकार के निजी सहायक
7. मुख्य सतर्कता अधिकारी के,सीएसआईआरमुख्यालय के निजी सहायक
8. विधि सलाहकार,सीएसआईआरमुख्यालयके निजी सचिव
9. प्रमुख, आईटी - इस अनुरोध के साथ की इस का.ज्ञा. को सीएसआईआर की वेबसाइट पर दर्शाएँ

C.S.I.R. Head IT
Dairy No. 454
Date 15/05/2017

आईटी प्रभाग के प्राप्ति - 12/05/17 की तिथि

कृपया क्र.सं. 9 के अनुसार उचित कार्यवाही करें।

विनोद कुमार (अनुभाग)
15/05/17

श्रीमती चंचल लाल, वरिष्ठ तक. अधिकारी.

नोट: यदि पूर्व में सॉफ्टकॉपी प्राप्त हो चुकी है तथा प्रदर्शित किया जा चुका है तो पुनः प्रकाशित करने की आवश्यकता नहीं।

Council of Scientific & Industrial Research
(Recruitment and Assessment Board)

No: 1/Misc/9/2017-RAB   Dated : 05th May, 2017

OFFICE MEMORANDUM

Sub : Representations sent directly to higher authorities without following the prescribed channels of communication – reg..

Kind attention is invited to the CSIR letters No.7-1(2)/2002-R&A 21.05.2004, No.7-1(2)/2005-R&A dated 28.10.2005, No.7-1(2)/2007-R&A dated 17.08.2007, DOPT OM.No.11013 /08/2013-Estt.(A-III) dated 06.06.2013, CSIR letter No.17(226)/97/E.II (HR.II) dated 26.05.2014 and DOPT OM No. 11013 /08/2013-Estt.(A-III) dated 31.08.2015 on the subject cited above and to state that in spite of instructions issued from time to time to refrain from submitting representations directly to higher authorities, it has been observed that some scientists in Gr.IV have been submitting representations directly to the higher authorities, viz. DG, CSIR / VP, CSIR without following the prescribed channels of representation.

2. Existing instructions provide that Council employees should address and submit the representation under CSRAP Rules, 2001 to Directors of Labs/Instts. Submitting representations directly to higher authorities by-passing the prescribed channel of communication tantamount to an act unbecoming of a Council Servant and thus violate the provisions of Rule 3(1) (iii) of CCS (Conduct) Rules, 1964. Further, some of the Council's employees are in the habit of sending copies of their representations to outside authorities, who are not directly concerned with the consideration thereof (e.g. Hon'ble Ministers, Secretaries of other Departments, Members of Parliament etc.). This is an undesirable activity, contrary to official propriety and tantamount to subversion of discipline. Besides, the representations forwarded through Members of Parliament are violative of Rule 20 of CCS (Conduct) Rules, 1964.

3. In view of above, the receipt of representations directly addressed to DG, CSIR / VP, CSIR, has been viewed seriously by the Competent Authority. Therefore, the Competent Authority has desired that, all Scientists (Gr.IV) in whose case Directors are the Appointing Authority, should submit representations regarding their assessment / recruitment under CSRAP Rules 2001, to their respective Director, and in no case should such representation be addressed to Head, RAB / Chairman, RAB / DG, CSIR / VP, CSIR <u>without exhausting the prescribed laid down channels</u>. Such representations addressed directly to Head, RAB / Chairman, RAB / DG, CSIR / VP, CSIR will be filed and no action will be taken on it.

Contd....2...

4. It is requested that these instructions may be brought to the notice of all Gr.IV Scientists, covered under CSRAP Rules, 2001.

5. This issues with the approval of Chairman, RAB.

6. Hindi version follows.

05/5/2017

(Sangeeta Banerjee)
Deputy Secretary

To,

The Directors/Heads
of all National Labs / Instts. of CSIR.

Copy to:-

1. Head, URDIP/IPU/HRDC/ HRDG / TKDL
2. All Sr. Dy. Secretaries / Dy. Secretaries / Under Secretaries in CSIR Hqrs. & CSIR Complex, New Delhi
3. Sr. COAs//COAs/AOs of all the Labs/Instts of CSIR.
4. US O/o DG, CSIR
5. PS to JS(Admin.)
6. PA to FA, CSIR
7. PA to CVO, CSIR
8. PS to Legal Adviser, CSIR
9. Head, IT Division with the request to upload this circular available in the website of CSIR.